

22.10.19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर।
वादी वकील ने उपस्थित होकर NO-Instruction
किया। न्यायालय समय में वादी को बक-2
पर कई बार भवाज लगाई गई, लेकिन वादी
या उसकी पेंरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
अतः वादी का वाद वकील द्वारा NO-Instruction
तथा वादी की कदम हाजरी व कदम पेंरवी-
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल शुभा
होकर दाखिल दफ्तर हो नम्बर ६ कम हो।

~~22/10/19~~
सहायक क्लर्क
घोहरन

NO-Instruction
UNNN
22/10/19